न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 83 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/92)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 23.07.2021

1. श्री शिवलाल पिता कचरूमल कुमावत, निवासी मानपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री विष्णुलाल पिता किशनलाल कुमावत, निवासी मानपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री घीसुलाल पिता किशनलाल कुमावत, निवासी मानपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मोहनलाल पिता बसंतीलाल कुमावत, निवासी मानपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री सम्पतलाल बोहरा –अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री एस. पी. व्यास –अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या–22 / 2019 निर्णय दिनांक 27.01.2020

निर्णय

दिनांक 23.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 22 / 2019 निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरूद्ध दिनांक 13.02.2020 को प्रार्थना पत्र धारा–81 भू–राजस्व अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50

दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मृतका मु. कमलादेवी का विरासती नामांतरकरण अपीलांट्स व अन्य के नाम पर नामांतरण संख्या 850 निर्णय दिनांक 06.12.2019 को पारित सभी वारिसान के नाम पर पारित हुआ है। तत्पश्चात् रेस्पोडेंट ने एक आवेदन वसीयत के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही का दिनांक 10.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसे एल.आर. एक्ट की धारा 135 (2) में दर्ज कर पुनः दिनांक 27.01.2020 को निर्णय पारित किया व वसीयत के आधार पर मृतका के वारिसान सिर्फ रेस्पोडेंट को माना जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.01.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"अप्रार्थी विष्णु पिता किशनलाल कुमावत, शिवलाल पिता कचरूमल कुमावत निवासी मानपुरा जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा वसीयत संदेहास्पद झुठी होने का कोई प्रमाण पेश नहीं करने तथा वसीयत पत्र में मोजूद गवाहो के बयान तथा नोटेरी अधिवक्ता, स्टाम्प विक्रेता के बयानों से स्पष्ट होता है कि कमलादेवी द्वारा न्यायालय परिसर में मोजूद रहकर दिनांक 14.11.2019 को प्रार्थी घीसुलाल पिता किशनलाल कुमावत, मोहनलाल पिता बंसतीलाल कुमावत, निवासी मानपुरा के पक्ष में संपादित कि गई वसीयत पत्र उचित प्रतित होता है कमलादेवी की मृत्यु दिनांक 26.11.2019 को हो चुकी है ग्राम मानपुरा के आराजी नम्बर 725 रकबा 0.92 हैक्टेयर कमलादेवी पत्नि भगवानलाल कुमावत, निवासी मानपुरा के बजाय घीसुलाल पिता किशनलाल कुमावत, मोहनलाल पिता बंसतीलाल कुमावत, निवासी मानपुरा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि प्रश्नगत प्रकरण में आदेश बिना अधिकार के होकर वोईड है जब एक बार नामांतरकरण खुलकर स्वीकृत हो चुका है उसे अपीलेट कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक दुबारा नामांतरकरण की कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है। परंतु इस मामले में कानून को ताक में रखकर अनरजिस्टर्ड व फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरकरण रेस्पोडेंट के नाम करने का आदेश दिया व बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त है। कथित प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट ने तहसीलदार के समक्ष गलत पेश किया तथा जो नामांतरकरण मृतक के बजाय उनके सभी वारिसान के नाम करने का आदेश दिया गया इस आदेश को न तो निरस्त किया गया न ही उस आदेश का रिव्यू का प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया यहां तक कि जब एक बार इंतकाल स्वीकृत हो चुका है तो दुबारा जब तक पूर्व का आदेश निरस्त नहीं हो जावे तक तक नया नामांतरकरण किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता है अगर घीसूलाल का वसीयत के आधार पर कोई हक अधिकार गलत है तो वो मूल स्वीकृत नामांतरकरण के विरूद्ध अपील कर सकता है तथा जब तक वह नामांतरकरण अपीलेट कोर्ट से निरस्त नहीं हो जावे तब तक दुबारा नामांतरकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। घीसूलाल ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश कर इंतकाल खोलने बाबत निवेदन कर कहा कि हमारी बुआ श्रीमती कमलादेवी की कृषि भूमि ग्राम मानपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ में

स्थित है जिसके आराजी नम्बर 725 रकबा 0.92 हैक्टेयर है। हमारी बुआजी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि हमारे नाम पर वसीयत की है। जिसकी फोटो प्रति साथ संलग्न है। हमारी बुआ की मृत्यु हो चुंकी है, उसकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन प्रार्थी के नाम दर्ज करायी जावे साथ ही यह भी कहा कि उक्त भूमि बाबत कोई विवाद नहीं है, जबकि अपीलांट नेचुरल वारिसान है। दिनांक 12.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में कथित पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पटवार हल्का सेमलपुरा को लिखा जाकर जांच रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा पत्रावली में आगे पेशी नहीं दी गयी तथा पत्रावली दिनांक 06.01.2020 को पेश होकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। पक्षकारों को बयान हेतु सूचित कर पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो दिनांक 13.01.2020 को पत्रावली पेश हुई। मौजूद सभी पक्षकार अप्रार्थी सभी मौजूद गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गये तथा पत्रावली पुनः दिनांक 21.01.2020 को पेश हो तथा दिनांक 21.01.2020 को पेश हुई, चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हो तथा दिनांक 27.01.2020 को निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार की गयी तथाकथित निर्णय में पूर्व का निर्णय के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहकर नया निर्णय पारित कर दिया जो एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है जब एक बार म्यूटेशन संख्या 850 जो दिनांक 06.12.2019 को स्वीकृत कर दिया गया था जब तक वह म्यूटेशन सक्षम न्यायालय से निरस्त नही हो जावे जब तक नया म्यूटेशन करने के बाद आदेश पारित करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है यह कंटेस्टेड निर्णय है तथा ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील धारा 75 (एफ) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील आप न्यायालय हाजा में लाई होने से पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2020 बिना अधिकार के एबइनिश्योबोईड है। तहसीलदार को जब वारिसान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया तो उसी जमीन के संबंध में

दुबारा वसीयत के आधार पर कार्यवाही कर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। कमलादेवी के वारिसान के नाम जो म्यूटेशन स्वीकृत किया गया उससे कोई व्यक्ति नाराज हो तो उसके विरूद्ध अपील पेश की जा सकती है परंतु दुबारा म्यूटेशन भरकर स्वीकृत करने का आदेश पारित करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर की गयी समस्त कार्यवाही एबइनिश्योबोईड होकर बिना अधिकार के है। जब कमलादेवी को नेचुरल वारिसान के आधार पर कमलादेवी के मरने के बाद म्यूटेशन भरकर स्वीकृत कर दिया गया ऐसे मामले में उसी कमलादेवी की उसी जायदाद के संबंध में वसीयत के आधार पर दुबारा कार्यवाही कीये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा दुबारा कमलादेवी के फोत होने से वसीयत के आधार पर केस दर्ज रजिस्टर कर की गयी कार्यवाही बिना अधिकार के होकर एबइनिश्योवोईड है क्योंकि जब तक नेचुरल वारिसान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक वसीयत के आधार पर नये सीरे से कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। म्यूटेशन की कार्यवाही समरी कार्यवाही है तथा ऐसे मामले में जहां नेचुरल वारिसान व वसीयत का विवाद हो तो ऐसे मामले में नेचुरल वारिसान के आधार पर ही नामांतरकरण पारित किया जावेगा। इस मामले में कोई दावा वसीयत के आधार पर नहीं किया गया है तथा यह अपील नेचुरल वारिसान ने जो म्यूटेशन संख्या 850 नेचुरल वारिसान के नाम पर स्वीकृत हो चुका है उस म्यूटेशन को चैलेंज नहीं किया गया है तथा वह म्यूटेशन किसी भी न्यायालय से निरसत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वारिसान के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन ही माना जावेगा तथा वसीयत के आधार पर तहसीलदार ने म्यूटेशन करने का जो आदेश दिया व एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. B. J. 2014 Page 19, R. B. J. 2017 Page 356, R. B. J. 2015 Page 412, R. B. J. 2009 Page 312, R. R. T. 2003 (1) Page 650,

R. R. T. 2009 (1) Page 500, R. B. J. 1999 Page 474, R. R. D. 2004 Page 727, D. N. J. 2019 (3) Page 153, R. B. J. 2008 Page 67, R. L. W. 1969 Page 347, R. R. T. 2005 (1) Page 656, R. B. J. 2014 Page 167, R. B. J. 2014 Page 86, R. B. J. 2020 Page 1, 301 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि ग्राम मानपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 725 कमलादेवी पत्नि भगवानलाल कुमावत के नाम खामेदारी में दर्ज थी। खातेदारी कमलादेवी की मृत्यु दिनांक 26.11.2019 को होने पर रेस्पोडेंट के पक्ष में मृतक कमलादेवी का वसीयतनामा होने की वजह से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां आवेदन दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर पत्रावली दर्ज कर प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट संबंधित पटवारी से मांग कर संबंधित पक्षकारों को उपस्थित होने की सूचना दी गयी जिस पर संबंधित पक्षकार दिनांक 13.01.2020 को उपस्थित होकर सभी पक्षों के बयान दर्ज किये गये। आप न्यायालय में अपील प्रस्तुतकर्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत आवेदन वसीयत के आधार पर नामांतरण करने बाबत कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया कि कमलादेवी के नामांतरण बाबत कोई आवेदन अथवा कार्यवाही ग्राम पंचायत में विचारधीन है या हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन की जांच पटवारी रिपोर्ट एंव जांच में दर्ज किये गये बयान प्रार्थी मोहनलाल, घीसूलाल वसीयत के गवाह ईश्वरलाल कुमावत एवं दुर्गाशंकर तस्दीक करने वाले नोटरी पब्लिक श्री रमेशचन्द्र एवं स्टाम्प विक्रेता मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत कथन एवं उनके द्वारा किये गये कथनों का कोई खण्डन नहीं होने से पूर्ण संतुष्टी के पश्चात् ही अपनी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रमाणित मानकर जो नामांतरकरण खोलने का आदेश प्रदान किया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई तथ्य प्रकट किये बिना आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो सर्वथा खारिज होने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील के अभिवचन में यह कहीं प्रकट नहीं

किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश किस आधार पर क्षेत्राधिकार विहीन है और अपीलांट के पक्ष में खातेदार मृतक कमलादेवी द्वारा की गई वसीयत को किस वजह से नहीं मानी जानी चाहिये। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नामंतरकरण को कार्यवाही एवं पटवारी मौका पर्चा में यह तथ्य कहीं भी प्रकट नहीं किया गया कि कमलादेवी के निधन के पश्चात वारिसान के नाम नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया है। ग्राम पंचायत के नामंतरकरण के कार्यवाही की निश्चित प्रक्रिया विचाराधीन की गयी है जिसमें कुछ समय लगना आवश्यक भी है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के नामंतरकरण आदेश दिनांक 22.01.2020 को विवादित प्रकट करने के लिये और न्यायालय से धोखा करने की नियत से तथाकथित ग्राम पंचायत द्वारा कानून नामांतरकरण करने के बारे में कहा जा रह है। ग्राम पंचायत द्वारा कानून नामांतरकरण खोला जाता तो प्रथम आवेदन से लेकर ग्राम पंचायत की संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित तथ्यों की पुष्टि की जाती तो इस ग्राम पंचायत के नामांतरकरण के बारे में विचार किये जाने का प्रश्न पैदा होता। अपीलांट द्वारा प्रस्ततु अपील में किये गये कथन के अलावा बहस में उठाये गये बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों में विरोधाभास है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R.R.D. 14.01.2016 Page 14 का हवाला प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील द्वेषपूर्ण एवं तथ्यों को छिपा कर कानून के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को राजस्व अधिकारी के नामांतरकण तस्दीक के अधिकार प्राप्त होते है तथा ऐसे तस्दीक शुदा नामांतरकरण अपील तहसीलदार को लाई नही होती, यह भी स्पष्ट होता है कि विरासत से नामांतरकरण संख्या 850 दिनांक 06.12.2019 को स्वीकृत कर दिया तो उसके बाद उक्त आदेश में तहसीलदार द्वारा बिना सक्षमता के दिनांक 27.01.2020 को उक्त

प्राकृतिक विरासत के नामांतरकरण को अपंजीकृत वसीयत के आधार पर परिवर्तित करने का अधिकार नही है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें पेश की हैः— R. B. J. 2014 Page 19, R. B. J. 2017 Page 356, R. B. J. 2015 Page 412, R. B. J. 2009 Page 312, R. R. T. 2003 (1) Page 650, R. R. T. 2009 (1) Page 500, R. B. J. 1999 Page 474, R. R. D. 2004 Page 727, D. N. J. 2019 (3) Page 153, R. B. J. 2008 Page 67, R. L. W. 1969 Page 347, R. R. T. 2005 (1) Page 656, R. B. J. 2014 Page 167, R. B. J. 2014 Page 86, R. B. J. 2020 Page 1, 301 इन सभी नजीरों में भी यही न्याय निर्णय है कि प्राकृतिक विरासत को बाधित करने वाले वसीयती उत्तराधिकार के संदर्भ में सक्षम स्तर पर विचारण कर ही निर्णय होना चाहिए इस प्रकरण में अपीलांट प्राकृतिक वारीसान जिनके नाम तहसीलदार के आदेश से पूर्व प्राकृतिक विरासती नामांतरकरण दिनांक 06.12.2019 को स्वीकृत हो चुका है तथा उन्होंने अपने बयान में उक्त वसीयत को स्वीकार भी नहीं किया है। वसीयत पंजीकृत भी नहीं ऐसी स्थिति में हस्ब पेशशुदा न्यायिक नजीर के एवं विधि अनुसार प्राकृतिक वारीसान के नाम तस्दीक शुदा नामांतरकरण को राजस्व अधिकारी के रूप में तहसीलदार द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर डेढ़ माह में परिवर्तित कर दयि जाने की न तो अधिकारिता न विधिक सक्षमता है। अतएंव अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 27.01.2020 तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर